

वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, द्विसदस्यीय पीठ : हल्द्वानी

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान, एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,

विपिन चन्द्र.....सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 96/2025 { 2014-2015 केंद्रीयस्टे आदेश के विरुद्ध }

सर्वश्री जगदम्बा स्टोन इण्डस्ट्रीज हल्दूचौड, हल्द्वानी

बनाम,

आयुक्त-कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

अपीलार्थी की ओर से : श्री रमेश सिंह रौतेला.....अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्रीमती हेमलता शुक्ला.....उपायुक्त एवं राज्य प्रतिनिधि।

—:: निर्णय ::—

विपिन चन्द्र, सदस्य,

यह द्वितीय अपील सर्वश्री जगदम्बा स्टोन इण्डस्ट्रीज हल्दूचौड, हल्द्वानी (जिसे आगे अपीलार्थी/व्यापारी कहा जायेगा) द्वारा 'उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत योजित की गई है। प्रथम अपील सं० 347/2025 (वर्ष 2014-2015 धारा 9(2)) में संयुक्त आयुक्त(अपील) राज्य कर, हल्द्वानी, (जिसे आगे 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रांतीय वाद में रु० 10,98,624.00 का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 5,49,312.00 की वसूली सशर्त रोधित किये जाने पर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित स्टे आदेश संख्या 14339 दिनांक 15-07-2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील/स्टे प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी व्यापारी द्वारा प्रांतीय वाद हेतु अवशेष धनराशि रु० 5,49,312.00 की वसूली भी प्रथम अपील के निस्तारण तक स्थगित किए जाने हेतु याचना की गयी है।

2- प्रस्तुत स्थगन आदेश के संदर्भ में वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी/व्यापारी फर्म राज्य कर विभाग में क्रस्ड स्टोन ग्रेट/डस्ट तथा प्राकृतिक नदी का रेत तथा नदी की बजरी की बिक्री किये जाने हेतु पंजीकृत हैं। संगत वर्ष के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 9(2) रिमांड वाद के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 03/03/2022 पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यापारी की कुल कर योग्य केंद्रीय बिक्री रु० 4,08,01,583.00 निर्धारित करते हुए उक्त पर रु०

35,28,889.00 कर आरोपित किया गया है। कर के रूप में रु0 24,30,264.00 का लाभ उक्तानुसार आरोपित कर के विरुद्ध दिये जाने के पश्चात् रु0 10,98,624.00 की मांग सृजित की गयी है।

3. उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की गयी है। अपील ज्ञापन के साथ व्यापारी द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण तक उक्त सृजित मांग की वसूली स्थगित किये जाने के संबंध में स्थगन प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया। उक्त स्थगन प्रार्थना-पत्र पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत वाद में विवादग्रस्त राशि रु0 10,98,624.00 का 50 प्रतिशत की वसूली प्रथम अपील के निर्णय तक सशर्त स्थगित की गयी है।

4. इस स्थगन आदेश दिनांक 15/07/2025 से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें समस्त विवादग्रस्त राशि रु0 10,98,624.00 की वसूली प्रथम अपीलीय निर्णय तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अपील आधार निम्न प्रकार हैं—

1. कि प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित स्टे आदेश न्याय एवं नियम विरुद्ध है।
2. कि प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित स्टे आदेश स्पीकिंग नहीं है केवल 50 प्रतिशत स्टे देने के कारण का उल्लेख स्टे आदेश में नहीं किया गया है।
3. कि प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा अन्य फर्मों को जिनका व्यापार व हमारा व्यापार सामान है तथा वाद के तथ्य भी सामान है उन्हें 95 प्रतिशत स्टे दिया गया है जबकि हैं केवल 50 प्रतिशत स्टे दिया गया है।
4. कि प्रथम अपीलीय अधिकारी महोदय द्वारा हमारी स्टे प्रार्थना पत्र पर सहनुभूति पूर्वक परिक्षण किये बिना केवल 50 प्रतिशत स्टे दिया गया है।
5. कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण देय कर जमा करने में असमर्थ है।
6. माननीय वाणिज्य कर अधिकरण हल्द्वानी पीठ द्वारा गत वर्ष में हमारी अन्य फर्म को शत प्रतिशत स्टे दिया गया है।”

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर प्रश्नगत मामले में समस्त विवादग्रस्त राशि की वसूली प्रथम अपीलीय निर्णय तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. वाद की सुनवाई हेतु फर्म के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रौतेला द्वारा जारी स्थगन आदेश को अनुचित एवं अविधिक होने का उल्लेख करते हुए अवशेष अस्थगित कर को भी प्रथम अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी। विभाग की ओर से विद्वान राज्य-प्रतिनिधि, श्रीमती हेमलता शुक्ला उपस्थित हुई तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के स्तर से प्रदान किये गये स्थगन को उचित बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सुनवाई के समय विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आधारों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क भी रखा गया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समान विवाद पर अन्य स्टोन इण्डस्ट्रीज को विवादग्रस्त कर के 95 प्रतिशत कर की वसूली को स्थगित किया गया है। यह भी कहा

गया कि उक्त स्थगन उनके संबंध में दिये गये स्थगन के बाद जारी किये गये हैं। अतः समान परिस्थितियों तथा समान विवाद के परिप्रेक्ष्य में उन्हें केवल 50 प्रतिशत का स्थगन प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रश्नगत मामले में विवाद इस बिन्दु पर है कि क्या दिनांक 02/05/2013 से अधिनियम की अनुसूची II (B) के क्रमांक 94 पर विज्ञापित प्रविष्टि River sand and River Bazri में अन्तर्गत नदी से प्राकृतिक रूप में प्राप्त रेत एवं बजरी के अतिरिक्त बोल्टर की क्रशिंग से प्राप्त ग्रेट एवं स्टोन डस्ट भी आच्छादित होगी अथवा नहीं ? इसी विवाद के संदर्भ में सर्वश्री कृष्णा स्टोन इंडस्ट्रीज के वर्ष 2014-15 के मामले में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बाद में विवादग्रस्त राशि रु0 10,98,624.00 का 95 प्रतिशत की वसूली प्रथम अपीलीय निर्णय तक स्थगित किये जाने के संबंध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन आदेश संख्या 14342 दिनांक 19/07/2025 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि व्यापारी विभाग में पंजीकृत बोनाफाइड डीलर हैं तथा विवादग्रस्त कर रु0 10,98,624.00 का 50 प्रतिशत की वसूली पहले ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा चुकी है, के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवादग्रस्त राशि का 95 प्रतिशत अर्थात् रु0 10,43,693.00 की वसूली को प्रथम अपील के निस्तारण तक अधिनियम की धारा 53(9) के अन्तर्गत वर्णित प्रतिबंधों के साथ स्थगित किये जाने को उचित पाते हैं।

—:: आदेश ::—

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विवादग्रस्त कर रु0 10,98,624.00 का 95 प्रतिशत अर्थात् रु0 10,43,693.00 की वसूली को प्रथम अपील के निस्तारण तक धारा 53(9) के अन्तर्गत वर्णित प्रतिबंधों के साथ स्थगित की जाती है। आदेशित किया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी व्यापारी की संबंधित अपील संख्या 347/2025 (वर्ष 2014-2015 धारा 9(2)) को इस आदेश की तिथि से छः माह के अन्दर निर्णीत करना सुनिश्चित करेंगे तथा व्यापारी अपील निस्तारण में सहयोग करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0 27.09.2025
(विपिन चन्द्र)

सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी पीठ, हल्द्वानी।

ह0/दि0 27.09.2025
(मलिक मजहर सुलतान)

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक : 27 सितम्बर, 2025

ह०/दि० 25.09.2025

ह०/दि० 25.09.2025

द्वितीय अपील सं०: 96/2026 {2014-2015 केन्द्रीयस्टे आदेश के विरुद्ध}



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>